न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–45 / 2024

प्रार्थीः–

गपाराम पुत्र करनाराम जाति मेघवाल निवासी रेलो की ढाणी, कुण्डल तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोकलसर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :–

श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 25.11.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 966 / 795 रकबा 4.4232 हैक्टयर ग्राम बेरानाडी तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,पेन कार्ड,वोटर आई.डी. कार्ड,भामाशाह कार्ड,जनआधार कार्ड,बैंक डायरी आदि में उसका वास्तविक नाम ''गपा राम पुत्र करना राम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम '' जगतीया पुत्र करना''लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ. / 2024 / 1863 दिनांक 20.09.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में परिवार राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र,जन आधार कार्ड,पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड, व ग्राम पंचायत बेरानाडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किया ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''गपा राम पुत्र करना राम ''है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम बेरानाडी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 966 / 795 रकबा 4.4232 में प्रार्थी का नाम ''जगतीया पुत्र करना'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:35 IST
Reason: Self Attested

प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र,जन आधार कार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड व ग्राम पंचायत बेरानाडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''गपा राम पुत्र करना राम'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''जगतीया पुत्र करना'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''गपा राम पुत्र करना राम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बेरानाडी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 966/795 रकबा 4.4232 हैक्टयर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''जगतीया पुत्र करना'' के स्थान पर ''गपा राम पुत्र करना राम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। **तहसीलदार सिवाना को प्रार्थी द्वारा रहनमुक्त का प्रमाण पत्र /अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।**

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:35 IST
Reason: SelfAttested